# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्राथपत्र संख्या–17/2021
प्राथपत्र प्रविष्टि दिनांक–09.07.2021
निर्णय दिनांक–20.09.2021

राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभु जाति बैरवा नि0 ग्राम मजरा सरदारपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. पटवारी हल्का सोहेला तह0 पीपलू

अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती
## अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

## निर्णय

दिनांक:–20.09.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 532 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 1440, 1441, 1442, 1448, 1476, 1478, 1506 व ख0न0 1509 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0475 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रार्थी का 1/20 हिस्सा हैं। प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा है तथा नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी में नोट लगाते समय प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा के स्थान पर राजू अंकित कर दिया है जो गलत है, जिसकी शुद्धी हेतु श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित आराजीयात खाता संख्या 532 में प्रार्थी का नाम राजू राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटीपूर्ण अंकन होने से गलत हैं। प्रार्थी के द्वारा पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि आवेदक का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 532 वाके ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के गलत नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार बैरवा शुद्ध किया जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सोहेला जमाबंदी संवत् 2072–75 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या 532 ख0न0 1440, 1441, 1442, 1448, 1476, 1478, 1506 व ख0न0 1509 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0475 हैक्ट. में राजू पुत्र प्रभू हिस्सा 1/20 जाति बैरवा सा0 सोहेला मजरा सरदारपुरा सहखातेदारन् के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल बैरवा हैं जबकि जमाबंदी खाता संख्या 532 में राजू पुत्र प्रभु बैरवा के नाम सहखातेदारान् के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। रिपोर्ट उचित आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी। प्रार्थी ने दौराने बहस प्राथपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि खाता संख्या 532 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 1440, 1441, 1442, 1448, 1476, 1478, 1506 व ख0न0 1509 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0475 हैक्ट.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

वाके ग्राम सोहेला पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रार्थी का 1/20 हिस्सा हैं। प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा है परन्तु विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा के स्थान पर राजू अंकित कर दिया है जो गलत है, जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा अंकित है। अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 532 वाके ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के गलत नाम राजू पुत्र प्रभुलाल के स्थान पर राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र प्रभुलाल बैरवा शुद्ध किया जावें।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की उक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सोहेला जमाबंदी संवत् 2072–75 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या 532 ख0न0 1440, 1441, 1442, 1448, 1476, 1478, 1506 व ख0न0 1509 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0475 हैक्ट. में राजू पुत्र प्रभू हिस्सा 1/20 जाति बैरवा सा0 सोहेला मजरा सरदारपुरा सहखातेदारन् के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल बैरवा हैं जबकि जमाबंदी खाता संख्या 532 में राजू पुत्र प्रभु बैरवा के नाम सहखातेदारान् के साथ दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत सोहेला के पत्र दिनांक 15.09.2021 प्रस्तुत किया। मुताबिक ग्राम पंचायत सोहेला के प्रमाण पत्र अनुसार शांति, सरपंच ग्राम पंचायत सोहेला राजेन्द्र कुमार बैरवा उर्फ राजूलाल बैरवा एक ही व्यक्ति है। जिसे वह भली भांति जानती है। यह ग्राम सरदारपुरा पोस्ट सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक का निवासी है। अतः उक्त वर्णित खातेदारी भूमि में इसका नाम राजू लाल के स्थान पर राजेन्द्र कुमार बैरवा करने की अभिशंषा करती हूँ एवं प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में लड्डूलाल बैरवा पुत्र रघुनाथ बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम सरदारपुरा सोहेला तह0 पीपलू का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया की मैं ग्राम सरदारपुरा सोहेला तह0 पीपलू का मूल निवासी हूँ। मुझमें पूर्णतया सोचने व समझने की शक्ति है। मैं राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सरदारपुरा सोहेला तह0 पीपलू को भली भांति जानता एवं पहचानता हूँ। उक्त वर्णित आराजीयात में संहवन से राजू पुत्र प्रभुलाल अंकित हो गया हैं जो त्रुटीपूर्ण हैं जबकि अन्य दस्तावेज जैसे राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार प्रभुलाल दर्ज है जो सही एवं सत्य हैं। प्रार्थी को गांव में राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल बैरवा व राजू पुत्र प्रभुलाल जाति बैरवा दोनो ही नामों से जाना जाता है। दोनो नामों से एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड मे राजू पुत्र प्रभुलाल बैरवा की जगह राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुलाल बैरवा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत हैं।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों यथा ग्राम पंचायत सोहेला के प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी एवं जनआधार कार्ड व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का सही एवं शुद्ध नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र प्रभु लाल बैरवा है। अतः भूमि आराजी खाता संख्या 532 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 1440, 1441, 1442, 1448, 1476, 1478, 1506 व ख0न0 1509 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0475 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र प्रभु लाल जाति बैरवा जो त्रुटीपूर्ण नाम अंकित हैं, उसके स्थान पर राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र प्रभु लाल जाति बैरवा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हों।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner